

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No 17

Date 11.02.2020

Vice President

Id. Moezuddin

9304951990

Ajay Kumar

9835737317

Joint Secretary

Subodh Kumar

7979919465

Opal Sharan

8210342042

Treasurer

Al Kumar Tiwary

9431085120

Joint Treasurer

Mona Jha

9430881025

सेवा में,

मुख्य सचिव,

बिहार सरकार, पटना

अपर मुख्य सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना

विषय – बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि हेतु अन्य प्रगतिशील राज्यों की प्रीमियर सेवा के अनुरूप पे मैट्रिक्स लेवल -11 अनुमान्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि बिहार सरकार के अधीन राज्य स्तरीय सेवाओं में बिहार प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा का दर्जा प्राप्त रहा है । बिहार लोक सेवा आयोग की विभिन्न सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्चतम रैंक प्राप्त अभ्यर्थी ही इस प्रीमियर सेवा को चुनते हैं । कार्य की विविधता, सरकार की प्रगतिशील एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना की मंशा के अनुरूप कार्य करने का चुनौतीपूर्ण अवसर, कैरियर में उन्नति, वेतन, प्रतिष्ठा तथा पेशा का बहुआयामी दृष्टिकोण बिहार के युवाओं को इस प्रीमियर सेवा की तरफ हमेशा ही आकर्षित किया है, परन्तु सप्तम राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय से प्रीमियर सेवा की महत्ता पर प्रश्न चिह्न लग गया है ।

(2) भारत के अन्य राज्यों के प्रीमियर सेवा के पदनाम तथा वेतन स्तर/पे मैट्रिक्स से सादृश्यता स्थापित करने पर बिहार सरकार के प्रीमियर सेवा की निम्नलिखित कमतर वेतन पारिश्रमिक, पद-स्तर की स्थिति देखी जा सकती है-

क्र.सं.	राज्य	सेवा/पदनाम	पे बैंड/स्केल
1	मध्य प्रदेश	राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाध्यक्ष)	रु 15,600-39,100 (Gr.P-Rs- 5400) लेवल-10
2	महाराष्ट्र	उप जिलाधिकारी	रु 15,600-39,100 (ग्रेड पे-रु 5400) लेवल-10
3	उत्तर प्रदेश	उप जिलाधिकारी (राज्य प्रशासनिक सेवा)	रु 15,600-39,100 (ग्रेड पे-रु 5400) लेवल-10
4	गुजरात	जूनियर स्केल डिप्टी कलेक्टर/ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (गुजरात प्रशासनिक सेवा)	पे मैट्रिक्स लेवल (रु 56100) (लेवल-10)
5	छत्तीसगढ़	उप जिलाध्यक्ष (राज्य सिविल सेवा)	रु. 56,100 (लेवल-12)

उपरोक्त तुलनाओं से स्पष्ट होता है कि देश की प्रगतिशील राज्यों में इस प्रीमियर सेवा को कम-से-कम लेवल-10 तथा अधिकतम लेवल-12 में रखा गया है जबकि बिहार राज्य में इस प्रीमियर सेवा को लेवल-9 में रखा गया है।

(3) उल्लेखनीय है कि अभी तक गठित सभी वेतन आयोग द्वारा जब भी दो वेतनमान का विलय हुआ तो उच्चतर वेतनमान देने की अनुशंसा होती रही है। प्रासंगिक है कि CWJC-1498/2011 अविनाश कुमार चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य से उद्भूत LPA सं. 167/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 23.06.2017 के आलोक में भी राज्य सरकार द्वारा निम्नवर्गीय लिपिक के पदों को उच्चवर्गीय लिपिक के पदों में विलय किए जाने के परिणामस्वरूप उच्चवर्गीय लिपिक को दिए जा रहे उच्चतर वेतनमान यथा रु.6000/- को नए सृजित श्रेणी के लिए अनुमान्य कर दिया गया। परन्तु सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में जब बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के वेतनमान पीबी-2 ग्रेड पे-रु 5400 तथा पीबी-3 ग्रेड पे-रु 5400 का आमेलन हुआ तो, पीबी-3 ग्रेड पे-रु 5400 का प्रतिस्थानी वेतनमान लेवल-10 की जगह निम्नतर पीबी-2 ग्रेड पे-रु 5400 का प्रतिस्थानी लेवल-9 अनुमान्य कर दिया गया जो कि न केवल स्थापित व्यवस्था के विपरीत है बल्कि उपर्युक्त वर्णित न्यायादेश की भावना के भी प्रतिकूल है।

(4) यह भी द्रष्टव्य है कि नवनियुक्त प्रीमियर सेवा में चयनित युवाओं में राज्य सरकार की प्रगतिशील एवं सुशासनकारी मंशा के अनुरूप कार्य कर के राज्य को आगे ले जाने की समर्पित आकांक्षा है परन्तु कम वेतन स्तर इन प्रतिभाशाली युवा अधिकारियों को हतोत्साहित एवं निराशाग्रस्त करता है।

(5) अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सादर निवेदन है कि राज्य सरकार की प्रीमियर सेवा(बिहार प्रशासनिक सेवा) के कार्यों की विविधता, व्यापक दृष्टिकोण तथा अन्य सेवाओं की तुलना में विशिष्टता को देखते हुए इस सेवा के मूल कोटि का वेतनमान देश की अन्य प्रगतिशील राज्यों में इस प्रीमियर सेवा के अनुरूप वेतन लेवल-11 किये जाने की कृपा की जाए ताकि सरकार के अधीन कार्यरत इस विशिष्ट सेवा के पदाधिकारियों में कार्य समर्पण तथा मनोबल का स्तर उच्च बना रहे।

विश्वसिभाजन

(अनिल कुमार)

महासचिव